eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

अरस्तु का राजनीतिक दर्शन

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]
[1]सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ0प्र0, भारत

Received: 15 December2023 Accepted & Reviewed: 25 December2023, Published: 01 Jan 2024

Abstract

अरस्तु (384–322 ईसा पूर्व) प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिकों में से एक थे, जिन्होंने राजनीति, नैतिकता, तर्कशास्त्र और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन किया। उनका राजनीतिक दर्शन विशेष रूप से उनके ग्रंथ राजनीति (Politics) में प्रतिपादित किया गया है, जिसमें उन्होंने राज्य, नागरिकता, शासन प्रणालियों, न्याय और कल्याण की अवधारणाओं को विस्तार से समझाया है। इस शोध पत्र में अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की प्रमुख अवधारणाओं का विश्लेषण किया गया है और उनके विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा की गई है।

कीवर्ड– अरस्तु, राजनीति, शासन प्रणाली, नागरिकता, न्याय, राज्य, लोकतंत्र, कुलीनतंत्र, दार्शनिक, नीति

Introduction

प्राचीन ग्रीस में दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की विचारधारा से भिन्न दृष्टिकोण विकसित किया। अरस्तु का राजनीतिक चिंतन अनुभवजन्य और तर्कसंगत था, जो समाज और राज्य की वास्तविकताओं पर आधारित था। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि नैतिक और व्यावहारिक जीवन को सुव्यवस्थित करने की एक कला माना।

अरस्तु का मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज के बिना अधूरा रहता है। उनका विचार था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करना है, और इसके लिए एक अच्छी शासन प्रणाली आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और उनकी खूबियों तथा खामियों का विश्लेषण किया। यह शोध पत्र अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की विभिन्न अवधारणाओं का गहन विश्लेषण करता है, जैसे कि राज्य की प्रकृति, नागरिकता, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, न्याय की परिभाषा, राजनीति और नैतिकता का संबंध, तथा क्रांति और स्थिरता। साथ ही, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में अरस्तु के विचारों की क्या प्रासंगिकता है।

अरस्तु का राजनीतिक दर्शन निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित है–

राज्य की प्रकृति और उद्देश्य– अरस्तु के अनुसार, राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करना है। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना, जिसका विकास परिवार और ग्राम समुदाय से होता है। वे मानते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही पूर्णता प्राप्त होती है।

नागरिकता और नागरिक कर्तव्य– अरस्तु ने नागरिकता को विशेषाधिकार और कर्तव्य के रूप में देखा। उनके अनुसार, केवल वही लोग नागरिक कहलाने के योग्य हैं जो राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता केवल जन्म से नहीं मिलती, बल्कि यह एक व्यक्ति की समाज में भूमिका और योगदान पर निर्भर करती है।

शासन प्रणालियों का वर्गीकरण– अरस्तु ने शासन प्रणालियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया–

अरस्तु ने शासन प्रणालियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया:

शासन प्रणाली	अच्छा रूप	खराब रूप
एक व्यक्ति का शासन	राजतंत्र	तानाशाही
कुछ लोगों का शासन	कुलीनतंत्र	कुलीन वर्ग की तानाशाही
बहुसंख्यक का शासन	संवैधानिक सरकार	लोकतंत्र

उनके अनुसार, सबसे अच्छी शासन प्रणाली वह होती है जिसमें सत्ता का संतुलन होता है और नागरिकों की भलाई सर्वोपरि होती है।

न्याय और समानता– अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है

वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)– संसाधनों और पुरस्कारों का समान वितरण।

सुधारात्मक न्याय (Corrective Justice)– अनुचित व्यवहार के लिए दंड और सुधार।

क्रांति और स्थिरता– अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए एक मजबूत मध्यवर्ग के महत्व पर बल दिया।

राजनीति और नैतिकता का संबंध– अरस्तु के अनुसार, राजनीति और नैतिकता एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छा राजनीतिक नेता वही हो सकता है, जो नैतिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हो।

अरस्तु का राजनीतिक दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उनकी शासन प्रणालियों की व्याख्या, नागरिकता की अवधारणा और न्याय पर विचार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं।

राज्य की प्रकृति और उद्देश्य– अरस्तु के अनुसार, राज्य एक प्राकृतिक इकाई है जो मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और अकेले जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है। इसीलिए, वह समाज और राज्य का निर्माण करता है। अरस्तु ने राज्य को एक जीवित जैविक इकाई के रूप में देखा, जो धीरे–धीरे विकसित होती है। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को तीन चरणों में विभाजित किया–

परिवार (Family)– सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई।

ग्राम (Village)– कई परिवारों के एक साथ आने से निर्मित।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

राज्य (State) – कई ग्रामों के मिलकर एक व्यापक समुदाय बनाने से निर्मित।

अरस्तु के अनुसार, राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की स्थापना करना और नागरिकों को एक अच्छा जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता है या पशु। यह कथन राज्य के महत्व को रेखांकित करता है।

नागरिकता और नागरिक कर्तव्य– अरस्तु ने नागरिकता को केवल जन्मसिद्ध अधिकार नहीं माना, बल्कि इसे एक सक्रिय भूमिका और जिम्मेदारी के रूप में देखा। उनके अनुसार, नागरिकता केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होनी चाहिए जो राज्य के प्रशासन और राजनीतिक निर्णयों में भाग लेते हैं। उन्होंने नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं।

राजनीतिक भागीदारी – नागरिक को राज्य के प्रशासन और नीतियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।

कानूनी और नैतिक दायित्व – नागरिक को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए और नैतिक आचरण बनाए रखना चाहिए।

सामाजिक उत्तरदायित्व – नागरिक को समाज और राज्य के कल्याण में योगदान देना चाहिए।

रक्षा और सेवा – नागरिक को आवश्यकता पड़ने पर राज्य की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए।

अरस्तु ने यह भी कहा कि सभी लोग नागरिक नहीं हो सकते। उनके अनुसार, दास, महिलाएँ और विदेशियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते। हालाँकि, यह विचार आज की लोकतांत्रिक धारणाओं से भिन्न है, लेकिन अरस्तु के समय की सामाजिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

अरस्तु ने नागरिकता को विशेषाधिकार और कर्तव्य के रूप में देखा। उनके अनुसार, केवल वही लोग नागरिक कहलाने के योग्य हैं जो राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता केवल जन्म से नहीं मिलती, बल्कि यह एक व्यक्ति की समाज में भूमिका और योगदान पर निर्भर करती है।

शासन प्रणालियों का वर्गीकरण–

अरस्तु ने शासन प्रणालियों को मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया–

शासक वर्ग की संख्या के आधार पर

शासन की गुणवत्ता के आधार पर

अरस्तु के अनुसार, शासन प्रणालियों के तीन अच्छे रूप होते हैं और उनके ही विकृत रूप बुरे शासन प्रणाली बन जाते हैं।

राजतंत्र– इसमें एक न्यायप्रिय और नैतिक राजा शासन करता है, जो प्रजा के हित में निर्णय लेता है। इसका विकृत रूप तानाशाही होता है, जिसमें शासक स्वार्थी और अत्याचारी हो जाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

कुलीनतंत्र– यह शासन उन बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो राज्य के हित में निर्णय लेते हैं। इसका विकृत रूप कुलीन वर्ग की तानाशाही होती है, जिसमें कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए शासन करते हैं।

लोकशाही– इसमें कानून द्वारा संचालित एक मिश्रित शासन प्रणाली होती है, जिसमें जनहित को प्राथमिकता दी जाती है। इसका विकृत रूप भीड़तंत्र होता है, जिसमें अनुशासनहीनता और स्वार्थ की प्रधानता होती है।

अरस्तु का मानना था कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली वह होती है जिसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता हो, क्योंकि यह वर्ग संतुलित और स्थिर शासन सुनिश्चित करता है। उनके अनुसार, सबसे अच्छी शासन प्रणाली वह होती है जिसमें सत्ता का संतुलन होता है और नागरिकों की भलाई सर्वोपरि होती है।

सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली की खोज– अरस्तु का मानना था कि किसी भी शासन प्रणाली का मूल्यांकन उसके द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकशाही (Polity) को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, क्योंकि यह एक संतुलित शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनसहभागिता और स्थिरता होती है।

मध्यम वर्ग की प्रधानता – अरस्तु का मानना था कि एक आदर्श शासन प्रणाली में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि यह वर्ग अमीरों की तरह अहंकारी नहीं होता और गरीबों की तरह असंतोषी नहीं होता।

न्याय और कानून का शासन – एक अच्छी शासन प्रणाली में कानून का शासन सर्वोपरि होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की मनमानी।

राजनीतिक स्थिरता –उत्तम शासन प्रणाली वह होती है जो स्थायी और संतुलित होती है, जिसमें क्रांति और अस्थिरता की संभावना कम होती है।

नैतिकता और सद्गुण – एक सफल शासन प्रणाली में शासकों और नागरिकों को नैतिक और सद्गुणी होना चाहिए।

अरस्तु ने यह निष्कर्ष निकाला कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली वह होती है, जो जनहित को सर्वोपरि रखती है और समाज में संतुलन बनाए रखती है। अरस्तु ने मिश्रित शासन प्रणाली (MiÛed Government) की वकालत की, जिसमें विभिन्न शासन प्रणालियों के सर्वोत्तम तत्व होते हैं। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया जिसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र के संतुलित तत्व मौजूद हों।

न्याय और समानता– अरस्तु के अनुसार, न्याय राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। उन्होंने न्याय को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया।

वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)– इसमें संसाधनों, प्रतिष्ठा और शक्तियों का वितरण समाज में योग्यता और योगदान के आधार पर किया जाता है। अरस्तु का मानना था कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को समान रूप से संसाधन मिलें, बल्कि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसका अधिकार मिले।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

संधि न्याय (Corrective Justice) – इसमें व्यक्तिगत विवादों और अन्याय के समाधान की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को हानि पहुँचाता है, तो न्याय प्रणाली के माध्यम से उचित दंड और मुआवजा सुनिश्चित किया जाता है।

अरस्तु ने समानता को न्याय का अभिन्न अंग माना, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समानता का अर्थ हर व्यक्ति को समान अधिकार देना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्थिति और योग्यता के अनुसार अधिकार देना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तो वहाँ असंतोष और अस्थिरता उत्पन्न होती है।

क्रांति और स्थिरता– अरस्तु के अनुसार, क्रांति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकती है। उन्होंने क्रांति के कारणों और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक अस्थिरता के कई प्रमुख कारण हो सकते हैं।

असमानता और अन्याय दृ जब समाज में आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक असमानता बढ़ जाती है, तो नागरिक असंतुष्ट हो जाते हैं और विद्रोह करने लगते हैं।

शासन की अक्षमता – यदि शासन उचित रूप से कार्य नहीं करता या जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो लोग विद्रोह के लिए प्रेरित होते हैं।

अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण– जब सत्ता कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो अन्य वर्ग असंतोष प्रकट करते हैं।

विदेशी हस्तक्षेप– बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से भी क्रांति उत्पन्न हो सकती है।

अरस्तु का मानना था कि राजनीतिक स्थिरता के लिए शासन प्रणाली को न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित उपाय सुझाए–

मध्यम वर्ग की शक्ति – एक मजबूत मध्यम वर्ग होने से राज्य स्थिर बना रहता है।

कानूनी शासन – सभी नागरिकों और शासकों को कानून के अधीन रहना चाहिए।

न्यायसंगत संसाधन वितरण – समाज में संसाधनों का उचित और न्यायसंगत वितरण आवश्यक है।

शिक्षा और नैतिकता – नागरिकों को अच्छी शिक्षा और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर क्रांति को रोका जा सकता है।अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए एक मजबूत मध्यवर्ग के महत्व पर बल दिया।

राजनीति और नैतिकता का संबंध– अरस्तु के अनुसार, राजनीति और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध है। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना या शासन करना नहीं है, बल्कि एक नैतिक समाज की स्थापना करना है। उन्होंने नीति और राजनीति को एक दूसरे का पूरक माना।

नैतिकता के बिना राजनीति अनैतिक हो जाती है – यदि राजनीति से नैतिकता हट जाए, तो यह केवल शक्ति और नियंत्रण का साधन बनकर रह जाती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

राजनीतिक निर्णय नैतिक होने चाहिए – शासकों को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो समाज के कल्याण और न्याय को बढ़ावा दें।

सत्ताधारी वर्ग को नैतिकता का पालन करना चाहिए – अरस्तु ने कहा कि एक अच्छा शासक वह होता है जो नैतिक गुणों से युक्त होता है और स्वयं को जनता के हित में कार्य करने के लिए समर्पित करता है।

राज्य का उद्देश्य नैतिकता का संवर्धन है – राज्य का कार्य नागरिकों को केवल सुरक्षा देना नहीं, बल्कि उनके नैतिक और बौद्धिक विकास में सहायता करना भी है।

नीति और राजनीति का समन्वय – अरस्तु के अनुसार, राजनीति और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य में निहित है कि एक अच्छा राज्य वही होगा जो न्याय और सद्गुणों को बढ़ावा देता है। उन्होंने इस दृष्टिकोण को सर्वोत्तम राज्य की अवधारणा में सम्मिलित किया, जहाँ नीति और राजनीति का संयोजन राज्य के नागरिकों के नैतिक उत्थान में सहायक होता है।

राजनीतिक नेतृत्व और नैतिकता – अरस्तु ने यह भी कहा कि शासकों को नैतिक रूप से अनुकरणीय होना चाहिए। उनका विचार था कि एक शासक को आदर्श नागरिक का प्रतीक होना चाहिए, जिससे वह न केवल कानूनों का पालन करे बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिक मूल्यों को आत्मसात करे। अरस्तु के अनुसार, राजनीति और नैतिकता एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छा राजनीतिक नेता वही हो सकता है, जो नैतिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हो। अरस्तु का राजनीतिक दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उनकी शासन प्रणालियों की व्याख्या, नागरिकता की अवधारणा और न्याय पर विचार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अरस्तु के अनुसार, राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करना है। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना, जिसका विकास परिवार और ग्राम समुदाय से होता है। वे मानते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही पूर्णता प्राप्त होती है।

अंततोगत्वा अरस्तु का राजनीतिक दर्शन गहरे दार्शनिक चिंतन और व्यावहारिक अनुभवों का मिश्रण है। उन्होंने राजनीति को केवल शासन की कला नहीं, बल्कि समाज के नैतिक उत्थान का साधन माना। उनका मानना था कि एक आदर्श राज्य वही है जहाँ न्याय, नैतिकता और सद्गुणों को बढ़ावा दिया जाता है। अरस्तु का नागरिकता और शासन प्रणालियों का विश्लेषण आज भी राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। उनका दृष्टिकोण लोकतंत्र, कुलीनतंत्र और राजतंत्र की विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालता है और यह समझने में सहायता करता है कि कौन–सी शासन प्रणाली सर्वोत्तम हो सकती है।

आधुनिक राजनीति में भी उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं, विशेष रूप से शासन की नैतिकता, नागरिक कर्तव्यों और न्याय की अवधारणा को लेकर। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ भी अरस्तु के सिद्धांतों से प्रेरित हैं, क्योंकि वे नागरिक अधिकारों, नैतिक शासन और सामाजिक कल्याण पर जोर देते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 03, Issue 01, January 2024

सन्दर्भ सूची–

- अरस्तु – राजनीति (Politics) (अनुवाद, रामचंद्र गुहा)
- द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अरस्तु – अर्नेस्ट बार्कर
- अरस्तु का राजनीतिक दर्शन – डॉ. सुरेश चंद्र
- राजनीतिक विचारक – अरस्तु से आधुनिक युग तक – ओमप्रकाश गुप्ता
- प्लेटो और अरस्तु, राजनीतिक सिद्धांत – डॉ. सत्यव्रत शुक्ल
- न्याय और राज्य, अरस्तु का दृष्टिकोण – हरिनारायण मिश्रा
- गणराज्य से लोकतंत्र तक – अरस्तु और आधुनिक राजनीति
- Politics by Aristotle & Translated by Carnes Lord
- The Political Thought of Plato and Aristotle & Ernest Barker
- Nature] Justice] and Rights in Aristotle's Politics & Fred D- Miller
- A Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle & Peter Simpson
- Aristotle*s Best Regime & Clifford Angell Bates
- Aristotle and the Rediscovery of Citizenship & Susan D- Collins
- Aristotle*s Teaching in the Politics & Thomas Pangle
- Aristotle and Modern Politics & Lane Cooper
- The Cambridge Companion to Aristotle*s Politics & Marguerite Deslauriers
- Aristotle: Political Philosophy & Richard Kraut